

03.08.18.

उदयपुरवादी

पत्रावली तहसीलदार उदयपुरवादी से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पत्र क्र. 361, वकील बाही ने एक प्रत्येक वाक्य कानून डिक्री जारी करवाने का पत्र किया। इन्हीं तहसीलदार उदयपुरवादी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं आने के कारण विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तथा इतिहास निम्न व अन्तिम डिक्री प्रकृत से उचित करवाया जाके कार्रवाई किया गया। पत्रावली क्र. 361 (पत्र 361)

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी (उदयपुरवादी)